मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 6–1–2016–3–एक भोपाल, दिनांक 28 जनवरी, 2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश

विषयः– विभागीय जांच प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना।

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 12 (3) में स्पष्ट प्रावधानित है कि कोई भी मुख्य शास्ति ऐसे प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित नहीं की जाएगी, जो नियुक्ति प्राधिकारी के अधीनस्थ हो। अर्थात् उक्त नियमों के नियम 10 के खण्ड (छः) से (नौ) में वर्णित शास्तियां सम्बन्धी मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा।

2– उक्त नियमों के नियम 14 (21)(क) के अनुसार यदि लघु शास्ति हेतु सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जांचकर्ता अधिकारी के निष्कर्षों के आधार पर यह राय हो कि प्रकरण में मुख्य शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह प्राधिकारी जांच के अभिलेख उस प्राधिकारी की ओर अग्रेषित करेगा जो कि मुख्य शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम हो। अर्थात् ऐसे प्रकरण नियुक्ति प्राधिकारी की ओर निर्णय/कार्यवाही हेतु भेजे जाऐंगे।

3– सामान्य (कामन) अर्थात् संयुक्त विभागीय जांच की कार्यवाही में पदच्युति/मुख्य शास्ति अधिरोपित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी भिन्न–भिन्न हों तो ऐसे प्राधिकारियों में से उच्चतम प्राधिकारी द्वारा अन्य प्राधिकारियों की सहमति से कार्यवाही के आदेश दिये जा सकेंगे।(नियम–18)

4– यदि प्रतिनियुक्त शासकीय सेवक के विरूद्व आदाता विभाग में किये गये किसी कृत्य के लिए विभागीय जांच का मामला हो और जांच में मुख्य शास्ति का प्रकरण बनता हो तो ऐसी स्थिति में उक्त शासकीय सेवक की सेवायें प्रदाता/मूल विभाग को वापिस करते हुऐ कार्यवाही भी मूल विभाग को सौंपी जानी चाहिये। परन्तु प्रतिनियुक्ति के मामलों में जांच के प्रत्येक स्तर पर कार्यवाही से मूल या प्रदाता विभाग को अवगत कराया जाना आवश्यक है।(देखें नियम 20 एवं 21)

....2

5– यह भी स्पष्ट हो कि पदोन्नत शासकीय सेवक के विरूद्व दण्डादेश पदोन्नत पद हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही पारित किये जा सकते हैं, भले ही ऐसी जांच पदोन्नति के पूर्व की हो। ऐसी स्थिति में जांच प्रकरण सक्षम प्राधिकारी को निर्णय हेतु अंतरित की जाना चाहिए।

6– विभागीय जांच प्रकरणों में नियमानुकूल कार्यवाही नही होने से जांच प्रकिया दूषित हो जाती है। अतएव उपरोक्त नियमों में प्रावधानित प्रकिया का पालन कडाई से किया जाना कृपया सुनिश्चित करें।

(एम.के. वार्ष्णेय)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक सी 6–1–2016–3–एक **भोपाल, दिनांक28जनवरी, 2016**

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल,
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल,
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल,
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल,
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल,
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल,
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर,
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल,
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर,
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल,
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,
15. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल,
16. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/ अभिलेख/पुस्तकालय,
17. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश,
18. वेबसाईट अपलोडिंग प्रभारी, सा.प्र.वि. मंत्रालय भोपाल।

(सी.बी. पडवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग